फर्द अहकाम

मालीराम **बनाम** नानूराम वगै0

यालय :– सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूं

प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0

संख्या –03/2018

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	16.03.2018	प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. बाबत हक त्याग की अनुमति दिये जाने का प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 8 व 19 की ओर से पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता नकल दिलाई गई। पत्रावली मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की तलब की गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 व 19 उपस्थित। वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 व 19 द्वारा निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि में दिनांक 12.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम नांगलकलां में पक्षकारान को सुना जोकर पक्षकारों की सहमति के आधार पर मूल वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा दिनांक 13.01.2014 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला वाद कन्फर्म किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में विरासत का नामान्तकरण खुलवाने व बैंक से ऋण लेने की छूट प्रदान की गई। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण को वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया लेकिन वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थगन होने से पक्षकार प्रभावित हैं। उक्त भूमि पर स्थगन आदेश होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 व 19 द्वारा अपनी बहिन व पिता की बहिन के हिस्से की भूमि का हकत्याग दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं हो सकता है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 व 19 ने हक त्याग पत्र पंजीबद्ध किये जाने व तत्पश्चात नामान्तकरण दर्ज किये जाने की अनुमति दिये जाने बाबत निवेदन किया है, जिस पर वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा नो ओब्जेक्शन प्लीड किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व मूल पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. बाबत हक त्याग की अनुमति दिये जाने का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 8 व 19 द्वारा अपनी बहिन व पिता की बहिन के हिस्से की भूमि का हकत्याग दस्तावेज पंजीबद्ध किये जाने व तत्पश्चात नामान्तकरण दर्ज किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के साथ संलग्न रहे। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर) Signature Not Verified Digitally signed by Seema Sharma Date: 2021.07.07 16:44:22 IST Reason: SelfAttested	

Scanned by CamScanner